अत्यावश्यक
नगपालिका आम/
उप निर्वाचन–2026

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

सत्यमेव जयते

संख्या– न.नि.50–05/2026 932

प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)।

पटना, दिनांक– 05.03.2026

विषयः–नगरपालिका आम/उप निर्वाचन, 2026; मतदाता सूची के लिए रिवाईजिंग अथॉरिटी की नियुक्ति के संबंध में।

प्रसंगः–आयोग के अधिसूचना संख्या–931 दिनांक–05.03.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आयोग की प्रासंगिक अधिसूचना द्वारा राज्य में पदस्थापित अनुमंडल दण्डाधिकारियों को उनके क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले नगरपालिकाओं के आसन्न आम/उप निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार करने हेतु निबंधन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

2. बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 11 अन्तर्गत मतदाता सूची में किसी नाम की प्रविष्टि करने से संबंधित दावे अथवा किसी नाम की प्रविष्टि से संबंधित आपत्ति के निष्पादन के उद्देश्य से **निबंधन पदाधिकारी द्वारा रिवाईजिग अथॉरिटी की नियुक्ति का प्रावधान है।**

3. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरान्त रिवाईजिग अथॉरिटी की नियुक्ति के संबंध में निम्न निदेश दिया जाता हैः–

(I) निबंधन पदाधिकारी द्वारा अपने स्तर से अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी को रिवाईजिग अथॉरिटी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

(II) निबंधन पदाधिकारी द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाली किसी नगरपालिका के लिए आवश्यकतानुसार एक से अधिक रिवाईजिग अथॉरिटी की नियुक्ति की जा सकती है।

(III) **नगरपालिका का कोई भी अधिकारी या सेवक रिवाईजिग अथॉरिटी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। परन्तु कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निबंधन पदाधिकारी एवं रिवाईजिग अथॉरिटी के इस नियमावली के द्वारा अधिरोपित उनके कर्त्व्यों के निष्पादन हेतु सभी आवश्यक सहयोग दिया जाएगा।**

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847| E-mail: secbihar

(IV) रिवाईंजिग अथॉरिटी इस नियमावली के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन हेतु कार्यपालक पदाधिकारी से उसकी शक्ति अथवा अधिकार में रखे गये सभी संगत अथवा आवश्यक दस्तावेजों या कागजातों को प्रस्तुत करने हेतु कह सकेगा।

4. नगरपालिका आम निर्वाचन, 2026 एवं विभिन्न कारणों से नगरपालिकाओं के रिक्त हुये पदों पर उप निर्वाचन के निमित्त मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में विस्तृत कार्यक्रम शीघ्र ही संसूचित किया जायेगा।

विश्वासभाजन

8/3/26

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक– न.नि.50–05/2026...932 पटना, दिनांक 05.03.2026

प्रतिलिपिः– आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8/3/26

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक– न.नि.50–05/2026...932 पटना, दिनांक 05.03.2026

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/26

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

ज्ञापांक– न.नि.50–05/2026...932 पटना, दिनांक 05.03.2026

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/3/26

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847| E-mail: secbihar